

प्रेषक,

वित्त नियन्त्रक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

सेवा में,

1. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय ।

2. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग मुज़फ्फर नगर/मथुरा/आगरा/मैनपुरी/बरेली/बदायूँ/फर्रुखाबाद/फतेहपुर/प्रयागराज/झांसी/जालौन/हमीरपुर/बांदा/वाराणसी/मिर्जापुर/जौनपुर/गाजीपुर/बलिया/गोरखपुर/आजमगढ़/देवरिया/उन्नाव/रायबरेली/हरदोई/बहराइच/अयोध्या/गोण्डा/सुल्तानपुर/प्रतापगढ़/ललितपुर/सोनभद्र/मऊ/महोबा/संतरविदास नगर/कुशीनगर/चंदौली/बलरामपुर/कौशाम्बी/चित्रकूट/शामली ।

संख्या 2092 / बजट / 29(5) / अनु0-15 / 43 / 2025-26

दिनांक 23.09.2025

विषय:- अनुदान संख्या-15 के अधीन भेड पालन की योजना (रा.90+ला.10) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पशुधन अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-151/2025/1518/सैंतीस-2-2025/001-1(9)/2022, दिनांक 16 सितम्बर, 2025 द्वारा शासन ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-104-भेड तथा ऊन विकास-05-भेड पालन की योजना (रा.90+ला.10) के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में कुल धनराशि रु0 344.75 लाख (रुपये तीन करोड़ चौवालिस लाख पचहत्तर हजार मात्र) की प्राप्त स्वीकृति के आधार पर निदेशक, प्रशासन एवं विकास के पत्र सं0-390/प0-1/2025-26, दिनांक 23.09.2025 द्वारा प्राप्त आवंटन प्रस्ताव के अनुसार संलग्न Allotment Grid Report में उल्लिखित धनराशि को निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपको आवंटित की जाती है। उल्लिखित शर्तों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय। शर्तों से विचलन की दशा में आहरण वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

- (1) आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय योजना हेतु निर्धारित गार्डिलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
- (2) आवंटित की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तभी सुनिश्चित किया जायेगा, जब योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों का चयन सुनिश्चित कर सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी जायेगी।
- (3) आवंटित की जा रही धनराशि को लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में उपलब्ध करायी जायेगी। किसी भी दशा में धनराशि का भुगतान नकद नहीं किया जायेगा।
- (4) आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः आवंटित की जा रही है। आवंटित की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।
- (5) आहरण वितरण अधिकारी योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में आवंटित धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी आवंटनों से द्विरावृत्ति न हो।
- (6) आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय।
- (7) आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा तत्काल आवश्यकता होने पर ही कोषागार से धनराशि का आहरण किया जाये।
- (8) यदि आहरण वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण वितरण अधिकारी को आवंटित किया जाय। ऐसे मामले में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।
- (9) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्थोरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्थोरमेन्ट ऑफ गुड्स)-2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

- (10) विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (11) यह भी स्पष्ट किया जाता है धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों अर्न्तगत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- (12) आवंटित की जा रही धनराशि के आहरण में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-V पार्ट-I के पैरा-162 में विहित प्राविधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
- (13) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (14) आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0 6/2025/बी-1-352/दस-2024-231/2025 दि0 27.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेश में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (15) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-104-भेड तथा ऊन विकास-05-भेड पालन की योजना (रा.90+ला.10) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
- (16) आवंटित की जा रही धनराशि की प्रविष्टि आवंटन रजिस्टर के क्रम संख्या-43(अनु0-15) पर अंकित कर ली गई है।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,

(ब्रजेश कुमार)

वित्त नियन्त्रक।

संख्या:- 2092 / बजट / 29(5) / अनु0-15 / 43 / 2025-26, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन/ मुजफ्फरनगर/ मथुरा/ आगरा/ मैनपुरी/बरेली/बदायू/ फर्रुखाबाद/ फतेहपुर/ प्रयागराज/ झांसी/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ वाराणसी/ मिर्जापुर/ जौनपुर/ गाजीपुर/ बलिया/ गोरखपुर/ आजमगढ़/ देवरिया/ उन्नाव/ रायबरेली/ हरदोई/ बहराइच/ अयोध्या/ गोण्डा/ सुल्तानपुर/ प्रतापगढ़/ ललितपुर/ सोनभद्र/ मऊ/ महोबा/ संतरविदास नगर/ कुशीनगर/ चंदौली/ बलरामपुर/ कौशाम्बी/ चित्रकूट/ शामली।
- (2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम)/ लेखानुभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- (3) अनुसचिव, उ0प्र0 शासन, पशुधन अनुभाग-2, सचिवालय, लखनऊ।
- (4) निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- (5) योजनाधिकारी अपर निदेशक, (लघु पशु) मु0 को इस आशय से प्रेषित कि पत्र सं0-390/प0-1/ 2025-26, दिनांक 23.09.2025 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त योजना से संबंधित कार्ययोजना/ गार्डलाइन्स समस्त संबंधित आ0वि0अधि0 को तत्काल उपलब्ध कराये तथा योजना में व्यय की सघन समीक्षा कर आवंटित धनराशि का व्यय सुनिश्चित कराये।
- (6) संयुक्त निदेशक (नियोजन) मुख्यालय।
- (7) कम्प्यूटर सुपरवाइजर, मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन को विभागीय वेबसाइट पर फीड करने का कष्ट करें।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-23/09/2025

प्रेषण संख्या:- 2092
आवंटन आदेश संख्या:- 001-29-5-ANU-15-43-2025-26
अनुदान संख्या:- 15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2403 - पशु पालन(आयोजनेतर-मतदेय)

104 - भेड़ तथा ऊन विकास
05 - भेड़ पालन की योजना (र. 90/ ला.10)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	वृत्तमान	08-कायालय व्यय	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं संपूर्ति	योग
1	मुजफ्फर नगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वृत्तमान प्रणामी	0 0	30000 30000	80000 80000	655000 655000	765000 765000
2	मधुरा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वृत्तमान प्रणामी	0 0	30000 30000	80000 80000	655000 655000	765000 765000
3	आगरा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वृत्तमान प्रणामी	0 0	30000 30000	80000 80000	655000 655000	765000 765000
4	मैनपुरी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वृत्तमान प्रणामी	0 0	30000 30000	80000 80000	655000 655000	765000 765000
5	बरेली-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वृत्तमान प्रणामी	0 0	30000 30000	80000 80000	655000 655000	765000 765000
6	बदायूं-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वृत्तमान प्रणामी	0 0	30000 30000	80000 80000	655000 655000	765000 765000
7	फर्रुखाबाद-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वृत्तमान प्रणामी	0 0	30000 30000	80000 80000	655000 655000	765000 765000
8	फतेहपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वृत्तमान प्रणामी	0 0	30000 30000	80000 80000	655000 655000	765000 765000
9	प्रयागराज-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वृत्तमान प्रणामी	0 0	60000 60000	160000 160000	1310000 1310000	1530000 1530000
10	झाँसी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वृत्तमान प्रणामी	0 0	30000 30000	80000 80000	655000 655000	765000 765000
11	जालौन-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वृत्तमान प्रणामी	0 0	30000 30000	80000 80000	655000 655000	765000 765000
12	हमीरपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वृत्तमान प्रणामी	0 0	30000 30000	80000 80000	655000 655000	765000 765000

		08-कार्यालय व्यय	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-संग्रामी एवं समर्पित	योग
13 बला-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	0	30000	80000	655000	765000
14 वाराणसी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	0	30000	80000	655000	765000
15 मिर्जापुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	0	30000	80000	655000	765000
16 जौनपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	0	60000	160000	1310000	1530000
17 गाजीपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	0	30000	80000	655000	765000
18 बलिया-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	0	30000	80000	655000	765000
19 गोरखपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	0	30000	80000	655000	765000
20 अजमेर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	0	30000	80000	655000	765000
21 देवरिया-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	0	30000	80000	655000	765000
22 उज्जैन-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	0	30000	80000	655000	765000
23 रायबरेली-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	0	30000	80000	655000	765000
24 हरदोई-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	0	30000	80000	655000	765000
25 अयोध्या-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	0	30000	80000	655000	765000
26 गण्डा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	0	30000	80000	655000	765000
27 बहराइच-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	0	30000	80000	655000	765000
28 सुल्तानपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	0	30000	80000	655000	765000
29 प्रतापगढ़-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	0	30000	80000	655000	765000
30 बलितपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	0	30000	80000	655000	765000
31 लवाहर भवन, लखनऊ-2291-आहरण वितरण अधिकारी-मुख्यालय, लखनऊ-01-आहरण वितरण अधिकारी- मुख्यालय	वर्तमान प्रणामी	0	30000	80000	655000	765000
32 फर्रुख-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	50000	0	0	0	50000
33 सोनभद्र-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	0	30000	80000	655000	765000

प्रमाण/आधार/जनपद का नाम	व्यय	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं समूह	योग
34महोब-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 0	30000	80000	655000	765000
35भदोही-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 0	30000	80000	655000	765000
36कुशीनगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 0	60000	160000	1310000	1530000
37चन्दौली-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 0	30000	80000	655000	765000
38बलरामपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 0	30000	80000	655000	765000
39कौशाम्बी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 0	30000	80000	655000	765000
40चित्रकूट-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 0	60000	160000	1310000	1530000
41शामली-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 0	30000	80000	655000	765000
योग	वर्तमान प्रणामी 50000	1350000	3600000	29475000	34475000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रणामी आवंटन):-

रूपया तीन करोड़ चौवालीस लाख पचहत्तर हजार
 रूपया तीन करोड़ चौवालीस लाख पचहत्तर हजार

(ब्रजेश कुमार)
 वित्त नियंत्रक



Digitally signed by BIRAJESH KUMAR SHAKYA
 Reason: Attachment Completed
 Location: Uttar Pradesh
 Date: 2025.09.23 05:49:10 +0530